सभी भारतीयों के लिये बिना जहर का, विविधतापूर्ण, पोषक और पर्याप्त खाद्य सुनिश्चित करना

हम स्वस्थ तरीके से जीवन को निरंतर बनाये रखने के लिये भोजन लेते हैं और अगर वही भोजन जो हम जीवित बने रहने के लिये खाते हैं वह जहरीला हो जाये तो यह बहुत चिंता का विषय बन जाता है। सभी भारतीयों के लिये गैर जहरीले, विविधतापूर्ण, पोषक और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता का अपनाई जाने वाली कृषि प्रौद्योगिकी और विधियों, के साथ साथ जमीन के उपयोग और फसल पद्धतियों के अतिरिक्त खा़द्य और कृषि प्रणालियों के क्षेत्र में अधिनियमों से निकट का संबंध है। भूख और कुपोषण भी इससे तथा संसाधन तथा अवसरों पर नियंत्रण से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नागरिक के जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर नीति निर्माताओं के समुचित ध्यान न देने के कारण सुरक्षित और समुचित भोजन के अधिकार तथा उपभोक्ताओं के जानकारीपूर्ण विकल्प का अधिकार प्रभावित हो रहा है।

संदर्भ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केन्द्रीकृत व्यवस्था में दो अनाजों पर खाद्य सुरक्षा को आश्रित कर देने के गलत आशय के चलते देश के संसाधन समृद्ध कुछ हिस्सों में गेहूं और चावल का सघन पैदावार केन्द्रित उत्पादन के लिये निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप हरित क्रान्ति के

इन क्षेत्रों में विनाशकारी हालात बन गये और देश की कम वर्षा वाली जमीन के बड़े हिस्से को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। इस प्रतिमान में महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गई है कि इस देश में खाद्य उपभोक्ताओं में से ज्यादातर खाद्य उत्पादक भी हैं।

भारतीय उपभोक्ताओं को खाद्य विविधता के तहस नहस होने , खाद्य सुरक्षा और अच्छे पोषण के अभाव का सामना करना पड़ा है।

विश्व भूख सूचकांक में 120 देशों में भारत के 63वें स्थान पर रहने और देश की 25 प्रतिशत आबादी भूखी होने की शर्मनाक स्थिति को देखते हुए भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है। तथापि मुट्ठी भर अनाज की कुछ मात्रा की खाद्य सुरक्षा की व्याख्या से न अधिकतर भारतीयों को तो भोंजन और पोषण सुरक्षा हासिल होगी और न ही सुरक्षित भोजन मिल पायेगा।

नीतिगत परामर्श में ज्वार बाजरा आधारित विविध फसल पद्धति से मिल सकने वाले खाद्य और पोषण के बोध और मूल्यांकन का तथा गैर कृषि खाद्य की पूरी व्यवस्था जिसमें वन खाद्य उत्पादक बसाहटों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके मूल्यांकन का अभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त असुरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी के कार्पोरेट हितैषी नियमन के साथ खाद्य सुरक्षा नियमन के वर्तमान पश्चिमी अभिप्राय जो बड़े खिलाड़ियों के पक्ष में है न कि छोटे खाद्य उत्पादकों तथा फुटकर विक्रेताओं के ने समस्या को और जटिल बना दिया है।

असुरक्षित खाद्य के लिये दो महत्वपूर्ण कारक हैं , वर्तमान में कृषि रसायन अवशिष्ट और अगर मूंजरी मिल जाती है तो जीन परिवर्धित (जीएम) खाद्य।

कीटनाशक : अब तक यह भली भांति स्थापित हो गया है कि भारतीय खाद्य एवं पानी में कीटनाशक अवशिष्ट व्यापकता (खाद्य की सभी श्रेणियों में) एवं आधिक्य में हैं। इस तरह के अवशिष्ट की वैज्ञानिक एवं नियमित मॉनीटरिंग का अभाव है। कई अध्ययनों ने यह उजागर किया है कि भारतीयों के खून और शरीर के अवयवों में कीटनाशक मौजूद है जो वे बोझ के रूप में ढो रहे हैं। समस्या का बड़ा पहलू इस तथ्य से जुड़ा है कि खाद्य उत्पादन कीटनाशकों की अंधाधुंध अनुशंसा तथा विपणन के साथ किया जा रहा है जिसे लचीले नियमन का भी समर्थन प्राप्त है जो विकल्पों की मौजूदगी के बावजूद कीटनाशकों के पंजीयन से आरंभ होकर जहरीले रसायनों के प्रोत्साहन पर आकर समाप्त होता है। सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी भली भांति स्थापित हो गये हैं – कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान उत्पादकों और किसानों के शरीर में सीधे जहरीला धुआं जाता है (ज्यादा जहर जाने से हजारों जानें जा चुकी है।)। वे और भी तरीकों से कीटनाशकों के संपर्क में आने के जोखिम का सामना करते हैं। वहीं हमारे खाने, वायु और पानी में मौजूद अवशिष्ट के लंबे अरसे तक अल्प मात्रा में हमारे संपर्क में आने के गंभीर प्रभाव हो रहे है। इस तरह के प्रभाव कैंसर, गुर्दे, लिवर आदि के क्षतिग्रस्त होने , प्रजनन विसंगतियों , प्रतिकूल विकास तथा अवरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता जैसी बीमारियों के रूप में सामने आती है।

जीएम खाद्य : हाल के वर्षों में सुरक्षित भोजन के अधिकार और उपभोक्ता के सूचनाप्रद विकल्पों के अधिकार को भारत में जीन परिवर्धित (जीएम) खाद्य को लाने के बारंबार के प्रयासों से लगातार चुनौती मिली है जबकि दुनिया के अधिकतर देशों में इन खाद्यों को नकार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीएमओ (जीन परिवर्धित जैविकों) की परिभाषा में कहा है – जैविक जिनमें जीन सामग्री (डीएनए) को इस तरह से बदला जाये

जो प्राकृतिक तौर पर नहीं होता हो । वैज्ञानिक अध्ययनों में जीएमओ के प्रतिकूल प्रभावों का भली प्रकार दस्तावेजीकरण किया गया है। समुचित प्रमाण हैं कि इन अप्राकृतिक खाद्यों के प्रति सावधानी बरती जाये। (इस तरह के अध्ययनों को http://indiagminfo.org/?p=657 पर देखा जा सकता है।)

जीएम की लॉबिंग करने वाले अक्सर दावा करते हैं कि अमेरिका में लाखों लोगों ने एक दशक से अधिक समय से जीएम खाद्य खाया है लेकिन उनकी सेहत में किसी तरह के प्रतिकूल असर नहीं देखे गये। वास्तविकता यह है कि अमेरिका में जीएम खाद्यों को गैर जीएम खाद्यों के लगभग बराबरी पर खेल तौर पर कानूनों की धज्जियां उड़ाकर उस समय मंजूरी दी गयी जब मोनसेंटो के पूर्व एटार्नी जनरल और भावी उपराष्ट्रपति माइकल टेलर खाद्य और औषधि प्रशासन के प्रमुख थे। नतीजतन उद्योग जीएम खाद्य के लंबी अवधि तक स्वतंत्र और गहन परीक्षण से बचा रहा। न ही उनको लेबल लगाने की जरूरत है। न उनके प्रभाव की ही पड़ताल की गयी है। एक ही फैसले से जैव प्रौद्योगिकी कार्पोरेट ने यह सुनिश्चित कर लिया कि जीएम के प्रमुख उपभोक्ता अमेरिका में इस संबंध में कोई भी रोग संबंधी अध्ययन संभव नहीं हो। अमेरिका में ऐसा कोई निष्कर्षात्मक अध्ययन नहीं है कि जीएम खाद्यों का कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इसके विपरीत ऐसे अध्ययन हैं जो प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थितियों जैसे मोटापे और जीएम खाद्यों में अंतरसंबंधों की ओर संकेत करते हैं। पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव सामने आये हैं जिनसे अमेरिकन एकेडमी आफ एनवायरनमेंटल मेडिसिन यह कहने के लिये प्रेरित हुई है कि जीएम खाद्य और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के बीच संयोग से अधिक कुछ संबंध हैं .....। जानवरों पर हुए कई अध्ययनों ने सायटोकाइंस (प्रतिरोधक प्रणाली से जुड़े प्रोटीन अणु) सहित प्रतिरोधक प्रणाली में गड़बड़ी को दर्शाया है जो कि दमा, एलर्जी और ज्वलनशीलता से संबंधित है।

जीएम के सेहत पर प्रभावों के स्वतंत्र अध्ययन को जहां तक संभव है हतोत्साहित किया गया है। जैसा कि साइंटिफिक अमेरिकन 2009 के संपादकीय में कहा गया है कि कृषि तकनीक कंपनियों ने स्वतंत्र शोधकर्ताओं के कार्य पर खुद को वीटो या असीमित अधिकार दे रखे हैं। पाया गया है कि उद्योग प्रायोजित 100 प्रतिशत अध्ययनों में जीएम को सुरक्षित पाया गया है। वहीं स्वतंत्र शोधकर्ताओं के दर्जनों अध्ययन हैं जिनमें जीएम खाद्यों के सुरक्षित होने पर संदेह खड़े किये गये हैं। साल्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के डेविड श्युबर्ट के अनुसार उद्योग के दावे के विपरीत वैज्ञानिक बिरादरी के भीतर बीटी टॉक्सिन के सीधे इंसान में जहर भरने को लेकर गंभीर चिंता है। ऐसे प्रमाणों में बढ़ोतरी हो रही है जो बताते हैं कि बीटी टॉक्सिन पेट और आंतों में मैमेलियन कोषिकाओं से जुड़ कर ज्वलनशीलता पैदा कर सकता है जो आगे चल कर कैंसर का रूप लेता है।

बीजों में मौजूदा जीन संबंधी दखलंदाजी के अनुमान न लगाये जा सकने वाले सेहत के मूलभूत खतरों के अलावा कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी के बराबरी के दावे भी बेहद संदिग्ध हैं और उनपर कई सवाल लगाये जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में बीटी कॉटन को लें, तथापित बालवार्म के लिये कीटनाशक का इस्तेमाल कम हुआ है लेकिन चूसने वाले छोटे कीटों या ऐसे कीटों जिनका बीटी कॉटन के पूर्व तक अस्तित्व ही नहीं था उनके लिये कीटनाशकों के छिड़काव में नाटकीय वृद्धि हुई है। अमेरिका में खरपतवार नाशक प्रतिरोधक जीएम फसलों पर खरपतवारनाशक के बढ़ते इस्तेमाल से कुल मिलाकर कीटनाशकों के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई है जिसे समायोजित करने के लिये अधिकतम अवशिष्ट सीमा की समीक्षा करते हुए 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

उपभोक्ताओं के लिये सूचनाप्रद विकल्प लागू करते हुए खाद्यों पर लेबल का जहां तक सवाल है भारत में खाद्य जयादातर बिना पैकेजिंग वाला विक्रय होता है। यह भी ज्ञात है कि देश में लाखों लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं है जिससे लेबल का उनके लिये कोई अर्थ नहीं है। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि संग्रहण, परिवहन और भंडारण की पूरी प्रक्रिया के दौरान जीएम और गैर जीएम सामग्री को अलग रख पाना संभव नहीं होगा जिससे लेबलिंग निरर्थक ही हो गयी है। सुरक्षा आकलन के संदर्भ में जीएम जैविकों की अधिनियमन देश में गंभीर खामियों के चलते जटिल पाया गया है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है।

गैर कृषि खाद्य और वनों को खाद्य उत्पादक बसाहटों के तौर पर पहचान का अभाव : पर्यावरणीय कृषि पद्धति का उपयोग करने वाले खेतों और वनों दोनों जगहों में गैर कृषि–खाद्य भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा में उपेक्षित विषय रहे हैं। दुर्भाग्य से कुपोषण और भूख की ज्यादातर खबरें आदिवासी ग्रामीण इलाकों से आती हैं जहां वनों की खाद्य उत्पादक भूमिका के तौर पर उपेक्षा की गयी है। गैर कृषि वन खाद्य जैसे कि फल, मशरूम, पत्तियां, मछली आदि मुफ्त, पोषक , सुरक्षित और जैव विविधता पूर्ण खाद्य हैं जो साल भर उपलब्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाजुक भूख के समय पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन ऐसे वनों के स्वामित्व और प्रबंधन के मॉडलों सहित जो नजरिया वानिकी (समृद्ध वनों को पौधरोपण से प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि उद्योगों के कच्चे माल की जरूरत की पूर्ति की जाये) के प्रति अपनाया जा रहा है उससे वन आश्रित समुदायों का अपने वनों से खाद्य और पोषण सुरक्षा का जो संबंध

रहा है वह टूटता जा रहा है। दुर्भाग्य से इन समुदायों ने जंगल के संसाधनों पर उनके हकों को मान्यता और बरकरारा रखने वाले प्रगतिशील कानूनों वन अधिकर कानून और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार कानून का समुचित क्रियान्वयन नहीं देखा है।

जमीन उपयोग और फसल पद्धति में बदलाव : जमीन के उपयोग में भारी बदलाव आ रहा है जहां गैर कृषि कार्य उपयोग की जमीन बढ़ रही है वहीं वनों के तौर पर श्रेणीबद्ध जमीन की प्रकृति में भी बदलाव आया है। साझा जमीन जैसे चरनोई की जमीन कम हो रही है। विविधता, पोषण और सुरक्षित के संदर्भ में इसके खाद्य उत्पादन और उपभोग अपने प्रभाव हैं। पिछले सालों में फसल पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है। मिश्रित फसल की जगह एकल फसलों ने ले ली है। ज्वार–बाजरा आधारित फसल प्रणलियां लगभग लुप्त हो गयी हैं हालांकि बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं जो ज्वार–बाजरा खासकर छोटे ज्वार के पोषण लाभों को दिखाते हैं। आईएनएसआईएमपी या न्यूट्री फार्म जैसे नये कार्यक्रमों में समग्र और समेकित नजरिये को मान्यता देने का अभाव है जो कि परंपरागत ज्वार आधारित खेती की पद्धति में विद्यमान हुआ करता था। इसलिये यह कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा या विविधता या पोषण का कोई समाधान प्रदान नहीं कर सकते।

खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमन : खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून सभी कुछ को अपने भीतर समेटने के नजरिये से खाद्य सुरक्षा की संकीर्ण व्याख्या तथा क्रियान्वयन करते हुए कोई समाधान पेश करता नजर नहीं आता है। इसमें खास तरह के खाद्यों को लेकर उसमें भेद करने की सकारात्मक सक्रियता नहीं है तथा यह स्थानीय जैविक खाद्य उत्पादन और उपभोग मॉडलों के

अनुकूल माहौल भी प्रदान नहीं करता। खाद्य सुरक्षा नियमन को लेकर कानून के नजरिये में इस तथ्य की उपेक्षा की गयी है कि अक्सर जैविक उत्पादन प्रणाली में प्रमाणीकरण व्यवस्था के अतिरिक्त पृथकीकरण एवं अनुगमन प्रणाली भी स्थापित हो चुकी होती है। ऐसी कई रिपोर्ट उपलब्ध हैं जो दर्शाती हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले मानकीकरण अभियान में पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग या छोटे स्तर के विक्रेता के लिये कोई स्थान नहीं है।

समाधान

सभी नागरिकों को गैर जहरीले/सुरक्षित, पोषक और विविधतापूर्ण खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निम्न उपाय आवश्यक हैं :

– **देश में जीएम खाद्यों के आयात सहित पर्यावरण में** किसी भी जीएमओ को जारी करने पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिये।

–**सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सभी खाद्य सुरक्षा योजनाओं** को पुनर्गठित कर स्थानीय उत्पादन, उपार्जन , भंडारण और वितरण पर आधारित सार्वभौमिक और विकेन्द्रित प्रणाली बनाया जाये। ज्वार, दाल और तिलहनों को ऐसी योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जाये। स्थानीय जैविक भोजन खास तौर पर ज्वार आधारित खेती पद्धति के माध्यम से उत्पादित भोजन को आंगवाड़ी और स्कूलों के बच्चों के लिये बनी खाद्य योजनाओं में उपयोग करना चाहिये।

–**खाद्य सुरक्षा पर नीति नजरिये में गैर कृषि खाद्य को शामिल किया जाना चाहिये** जो वन आश्रित और अन्य समुदायों के लिये बेहद महत्वपूर्ण हैं। जिनकी पूर्ति समुचित भूमि उपयोग पद्धति और वानिकी मॉडल के माध्यम से की जा सकती है।

–**सरकार को विशेष तौर पर देश के शुष्क भागों में विविधता खेती पर** आधारित पर्यावरणीय खेती को प्रेत्साहित कर गैर जहरीले , विविधतापूर्ण , पोषक और पर्याप्त भोजन तक सभी भारतीयों की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिये। शुष्क भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों जैसे ज्वार और दलहनों को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट उपाय किये जाने चाहिये।

– **विशेष गुणों वाली परंपरागत बीज किस्मों** जैसे पोषक गुणों से भरपूर बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिये उपाय किये जाने चाहिये।

–**पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिये फसल विविधता जरूरी है** तथा इसके लिये आवश्यक बीजों तक किसानों की पहुंच होना चाहिये। जैविक विविधता पर संधि में सतत, कुशल, लचीले और पोषक खाद्य उत्पादन के लिये जैविक विविधता को महत्वपूर्ण बताते हुए मान्यता दी गयी है। फसल की किस्मों में जीन विविधता उस किस्म के निरंतर सुधार के लिये जरूरी मौलिक संसाधन है ताकि वह भावी परिवर्तनों के अनुकूल रह सके। बीज की परंपरागत किस्मों के खत्म होने और बाह्य नियंत्रित बीजों (वह भी अधिकांश स्वामित्व वाले जहां बीज प्रतिस्थापन का मंत्र है) कई किस्में जिनमें महत्वपूर्ण गुण समाहित थे वह खत्म हो गयी हैं या बीज बैंकों तक ही सीमित हैं। बीजों तक किसानों की निशुल्क पहुंच और परंपरागत किस्मों की बहाली सुनिश्चित करने के लिये समुचित नीतियों को क्रियान्वित करने की जरूरत है। ऐसे बीजों को बचाने, आदान प्रदान करने और उनमे ंसुधार करने के लिये किसानों को पुरस्कृत करना चाहिये।

–**गैर खाद्य/ नकदी फसलों की बजाय खाद्य फसलों की खेती की ओर बदलाव पर जोर** देना चाहिये। ख़ाद्य फसलों को बढ़ावा देने के लिये विशेष पुरस्कार और योजनाएं बनाने की जरूरत है तथा निर्यात एवं मूल्य संबंधित नीतियों को भी इनका समर्थन करना चाहिये।

–**उपभोक्ता के सूचनाप्रद विकल्प के अधिकार के संरक्षण के लिये** खाद्य उत्पादन में कीटनाशक अवशिष्ट की मात्रा और जीएमओ सहित प्रयुक्त सभी खतरनाक प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों के लिये समुचित लेबलिंग व्यवस्था लागू करने की जरूरत है।

–यह देखते हुए कि जैविक उत्पाद के साथ आम तौर पर पृथकीकरण, प्रमाणन की व्यवसाि संबद्ध होती है , **खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण के खाद्य सुरक्षा नियमन के नजरिये में जैविक उत्पादों के लिये विशेष कियान्वयन ढांचा होना चाहिये।**

————————————————————